कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प.23(1)आब / लेखा / 2009 / 281 दिनांक–04.02.2009

भांग समूहो हेतु निविदा सूचना

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम 1956 के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 के दौरान 29 भांग समूहो में भांग के थोक एंव खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञा पत्र (Licence) स्वीकृत करने हेतु निविदाऐ आमंत्रित की जाती है। मुख्य शर्ते निम्नानुसार है–

1–भांग समूहो का विवरण निविदा प्रलेख (Tender Document) में उल्लेखित है।

2–निविदादाता द्वारा एक से अधिक समूह के लिए भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु प्रत्येंक समूह के लिए पृथक पृथक निविदा प्रपत्र पर निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निविदा में प्रस्तावित समूह का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जावे।

3– प्रस्तावित समूह के लिए निविदा प्रपत्र में वही राशि अंकित की जावे जो निविदादाता दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 तक की अवधि के लिए अनुज्ञा फीस के रूप में देना चाहता है। यह राशि आरक्षित राशि से कम नही होनी चाहिए।

4– भांग समूहो हेतु निर्धारित आरक्षित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अमानत राशि (Earnest Money) निविदा के साथ देय होगी । यह राशि निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो के अनुसार आबकारी आयुक्त,राजस्थान, उदयपुर के पक्ष में ट्रेजरी चालान द्वारा राज्य कोष में जमा करानी होगी अथवा आबकारी आयुक्त,राजस्थान, उदयपुर के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा के साथ वांछित अमानत राशि जमा नही कराने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

5– निविदा के संबंध में अन्य सभी शर्ते निविदा प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एंव शर्ते तथा अनुज्ञापत्र की शर्तो के अनुसार होगी। निविदादाता द्वारा प्रस्तावित किसी प्रकार की कोई शर्त मान्य नही होगी।

6– निविदा प्रलेख निर्धारित राशि रू00 200/– (रूपये दो सौ मात्र) का भुगतान कर इस कार्यालय तथा राजस्थान के किसी भी जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।

7– इच्छुक व्यक्ति अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में दिनांक 24.02.2009 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय आबकारी आयुक्त, 2 गुमानियावाला, उदयपुर में प्रस्तुत कर सकते है। फेक्स अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रस्तुत निविदा मान्य नही होगी। प्राप्त निविदाए उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जायेगी। आबकारी आयुक्त को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर।